न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार (छ०ग०)

जमानत याचिका क्रमांक–896/2022
संस्थित दिनांक–17/10/2022
थाना राजादेवरी पुलिस चौकी बया
अपराध क्र.–149/2022
CIS No.–896/2022

राकेश रात्रे पिता नरोत्तम रात्रे उम्र 25 वर्ष
साकिन–सैहांभाटा, थाना–राजादेवरी,
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) .....**आवेदक/अभियुक्त**

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र राजादेवरी पुलिस चौकी बया .....**अनावेदक/अभियोजक**

जमानत याचिका अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में पारित
आदेश दिनाँक 18/10/2022 की सत्यप्रतिलिपि।

18.10.2022 आवेदक/अभियुक्त राकेश रात्रे न्यायिक अभिरक्षा में है, उसकी ओर से श्री एम.आर. सोनवानी अधिवक्ता।

राज्य द्वारा लोक अभियोजक श्री समीर अग्रवाल उपस्थित ।

थाना राजादेवरी पुलिस चौकी बया से केस डायरी प्राप्त हुआ।

आवेदक/अभियुक्त को थाना राजादेवरी पुलिस चौकी बया के अपराध क्रमांक–149/2022, अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप में अभिरक्षाधीन होना बताते हुए उसे जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गई है।

आवेदन के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से नरोत्तम रात्रे द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें व्यक्त किया गया है कि उक्त प्रकरण में यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी सक्षम न्यायालय अथवा माननीय छ .ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में कोई भी नियमित जमानत आवेदन लंबित नहीं है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन में जमानत हेतु यह आधार लिया गया है कि – आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध थाना राजादेवरी पुलिस चौकी बया पुलिस द्वारा अपराध क्र.–149/2022 अंतर्गत धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आवेदक /अभियुक्त को दिनांक 17.10.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसडोल के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे उपजेल बलौदाबाजार में निरूद्ध रखा गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसडोल के समक्ष जमानत याचिका अंतर्गत धारा 437 पेश किया गया था जो दिनांक 17.10.2022 को निरस्त किया गया है। आवेदक /अभियुक्त निर्दोष है, उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदक /अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज अपराध की प्रकृति ऐसा नहीं है जिसकी सजा

मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय हो। प्रकरण की विवेचना में विलंब होने की पूर्ण संभावना है। आवेदक/अभियुक्त ग्राम सैहांभाटा, थाना राजादेवरी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग. का स्थायी निवासी है, ऐसी स्थिति में उसके कहीं अन्यत्र फरार होने की संभावना नहीं है। अभियुक्त/आवेदक न्यायालय के हर आदेशों का पालन करने को तैयार है। उक्त आधारों पर अभियुक्त/आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने की याचना की गई है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया है।

जमानत आवेदन पर उभयपक्षों का तर्क श्रवण किया गया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

थाना राजादेवरी पुलिस चौकी बया के अपराध क्र. 149/2022 की केस डायरी के अनुसार घटना दिनाँक **15.10.2022** को थाना राजादेवरी चौकी बया का प्रधान आरक्षक यशवंत सिंह ठाकुर हमराह स्टाफ के साथ देहात भ्रमण अवैध जुआ, शराब रेड कार्यवाही पर रवाना हुआ , उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सैहांभाटा में राकेश रात्रे नाला पास खेत के झाला में अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने के लिए रखा है। उक्त सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह पवन कुमार निराला एवं मिथलेश ठाकुर को साथ लेकर घटना स्थल पर रेड कार्यवाही किया, जहाँ आरोपी बीस लीटर क्षमता वाली ड्रम में **कुल 18 बल्क लीटर** हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब तथा शराब बनाने का उपकरण दो नग एल्युमिनियम का बड़ा बांगा रखा हुआ था, जिसके संबंध में आरोपी के द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त बरामद **18 बल्क लीटर** शराब को जप्त किया गया। मौके पर देहाती नॉलिसी दर्ज की गयी और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना राजादेवरी में प्रथम सूचना पत्र क्र.–149/2022 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम कायमी की गयी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसडोल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल बलौदाबाजार भेजा गया है एवं प्रकरण की शेष विवेचना की जा रही है।

केस डायरी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 15.10.2022 से निरूद्ध है। आरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसडोल द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। केस डायरी से इस अपराध के अलावा आवेदक/अभियुक्त की अन्य और अपराधों में संलिप्त होना परिलक्षित नहीं होता है।

अतः शराब की मात्रा तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों पर विचारोपरांत आवेदक / अभियुक्त **राकेश रात्रे** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. **स्वीकार** कर आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि योग्य राशि **20,000/–₹** की एक सक्षम जमानत तथा इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत किया जाए तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत का लाभ प्रदान किया जावे–

शर्तें–

(1) आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

(2) आवेदक/अभियुक्त संबंधित न्यायालय द्वारा आदेशित तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा और विवेचना/जाँच में सहयोग करेगा।

(3) आवेदक/अभियुक्त समरूप अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और अन्य किसी अपराधिक कृत्य में संलिप्त नहीं होगा।

आवेदक/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह **माननीय छ.ग.उच्च न्यायालय बिलासपुर के सी.आर.एम.पी. क्रमांक 62/2018 वेदप्रकाश विरूद्ध छ.ग.राज्य** में पारित आदेश दिनांक 01.02.2018 में दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार जमानत एवं बंधपत्र प्रस्तुत करें।

आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को पालनार्थ प्रेषित की जाए।

आदेश की प्रति केस डायरी के साथ संलग्न कर, संबंधित थाना को वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जाए।

सही/–

(विजय कुमार एक्का)

सत्र न्यायाधीश,

बलौदाबाजार (छ.ग.)